BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक- 28 सितम्बर, 2025 **थाना खानपुर**

राशिद की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर आलाकत्ल छूरी, घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहना लोअर, मृतक का मोबाइल फोन बरामद ।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 23-09-2025 को वादी ताहिर पुत्र राशिद खां निवासी ग्राम अमरपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर ने थाना खानपुर पर तहरीर दी कि उसके पिता राशिद घर से बिना बताये कहीं चले गये हैं तथा वापस नही आये हैं। इस सम्बन्ध में थाना खानपुर राशिद उपरोक्त की गुमशुदगी दर्ज की गयी। दिनांक 24-09-2025 वादी के फोन पर मैसेज आया, जिसमें उसके पिता को छोडने के बदले 05 लाख रुपये की मांग की गयी तथा पैसा नही देने पर उसके पिता की हत्या करने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में खानपुर पर मुअसं- 235/25 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में थाना खानपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा आज दिनांक 28-09-2025 को घटना में संलिप्त अभियुक्त मुजम्मिल को ग्राम अमरपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया हैं तथा अभियुक्त की निशांदेही पर राशिद का शव ग्राम अमरपुर बम्बे की पुलिया के पास आम के बाग से बरामद किया गया हैं।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खानपुर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. मुजम्मिल पुत्र तोसीफ निवासी ग्राम अमरपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी-

1. 01 छूरी (आलाकत्ल)
2. अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहना लोअर
3. मृतक का मोबाइल फोन

घटना का कारण- अभियुक्त मुजम्मिल ने पूछताछ पर बताया कि मृतक राशिद ऑन लाइन पैसे ट्रासफर किया करते थे। वह मृतक से कई बार पैसे ट्रासफर करवाया करता था, उसे मृतक के यूपीआई पिन की भी जानकारी थी। वह एवीएटर ऐप पर काफी पैसे हार गया था तथा उसपर काफी कर्जा भी हो गया था। इसलिए उसने राशिद का अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनायी तथा योजनानुसार दिनांक 23-09-2025 को दोपहर के समय फोन कर ट्रैक्टर का बैटरा ठीक करने के बहाने राशिद को बम्बे पर बुला लिया जब मृतक आया तो उसे अपने साथ बाग में ले गया । मृतक ने पूछा की ट्रैक्टर कहां हैं तो उसके द्वारा कुछ देर रूकने के लिए कहा गया तथा मृतक को अपने साथ खेत में अन्दर ले गया ओर उसके सिर व कान पर चाकू से वार किया। मृतक जोर जोर से चिल्लाने लगा तो उसने मृतक की गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। फिर मृतक का फोन लेकर 15000/- रूपये अपने खाते में ट्रासफर कर लिये। उसके बाद वर्चुअल ऐप से

इन्टरनैशनल नम्बर लेकर दिनांक 24-09-2025, 25-09-2025 व 26-09-2025 को ताहिर के फोन पर 05 लाख की फिरौती के मैसेज भेजे।

स्वाट टीम-

1. मोहम्मद असलम, प्रभारी स्वाट टीम
2. है0का0 कपिल नैन, है0का0 प्रदीप कुमार, है0का0 निकुंज यादव, है0का0 राहुल त्यागी, है0का0 मौ0 आरिफ, है0का0 अनुज राठी, है0का0 अंकुर धामा,का0 रोहित कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 सचिन चौहान, का0 श्याम सुंदर,का0 अमित कुमार

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खानपुर
2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 जितेन्द्र कुमार
3. का0 रविन्द्र प्रताप, का0 गोपाल, का0 मोहित कुमार

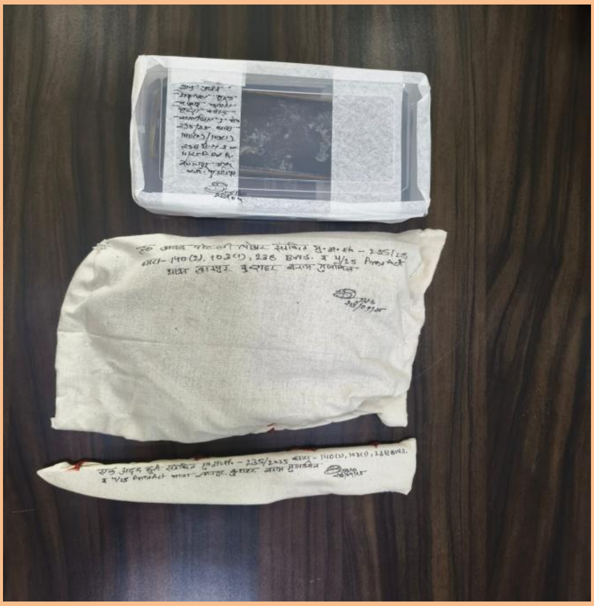

मीडिया सैल बुलन्दशहर।